लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/75/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 13.10.2017

श्री पुष्कर लाल नागदा पिता हीरालाल नागदा नि. दीपपुरा चौराहा, तहसील रावतभाटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 06.11.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 27.07.2017 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 75/2017/(02.11)/774 दिनांक 13.10.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 02.11.2017 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 02.11.2017 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसने उनकी पत्नि धापुबाई की खातेदारी की मय पड़ौसों के ग्राम बाडोलिया, तहसील रावतभाटा के गत सेटलमेन्ट की आराजी संख्या 16/51 रकबा 2.70 है. की नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति चाही गई थी किन्तु अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तरमीम शुदा आरजी संख्या 16/51

प्रकरण संख्या 75/2017 (सू.अ.)
श्री पुष्कर लाल नागदा निवासी दीपपुरा चौराहा, तहसील रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

का नक्शा ट्रेस नहीं देकर सम्पूर्ण आराजी संख्या 16 का दिया गया है जो कि गलत है अतः मुझे आराजी संख्या 16/51 का तरमीम शुदा नक्शा मय पड़ौसों के दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किये।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जवाब एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27.07.2017 से ग्राम बाडोलिया, तहसील रावतभाटा के गत सेटलमेन्ट की आराजी संख्या 16/51 रकबा 2.70 है. की नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है जबकि उसे सम्पूर्ण आराजी संख्या 16 के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई गई है जो कि गलत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित आराजी संख्या 16/51 की गत सेटलमेन्ट की पास पड़ौस सहित नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./75/2017(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2017

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री पुष्कर लाल पिता हीरालाल नागदा निवासी दीपपुरा चौराहा, गांधीसागर मेन रोड़, पुलिस चौकी के पास, झालरबावडी, पं. चारभुजा झालरबावडी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)